# न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः– 364 / 2019

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
| --- | --- | --- |
| गोपाल सैन पुत्र श्री शिवलाल सैन जाति नाई निवासी खिन्दाकोर तहसील ओसियां जिला जोधपुर। हाल निवासी कृष्णा नगर नंदनवन जोधपुर। | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां। |

उपस्थित–

प्रार्थी :–अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी :– सरकारी पैरोकार।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**–:निर्णयः–**

दिनांक 3/12/19

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः– प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा ग्राम हाणियां तथा खसरा नम्बर 33 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 34 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश जबरू व जबरूराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि गोपाल सैन के नाम से बने हुए हैं। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में [illegible] को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना कर[illegible] अन्य दस्तावेजों के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुध[illegible] करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचार. ओसियां

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा ग्राम हाणियां, तथा खसरा नम्बर 33 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 34 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जबरू व जबरूराम गलत दर्ज हो रखे है, उसके स्थान पर सही नाम गोपाल सैन दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें भी प्रार्थी का सही नाम गोपाल सैन पि. शिवलाल सैन बताया है तथा राजस्व रेकर्ड में नाम जबरू व जबरूराम के स्थान पर गोपाल सैन दर्ज किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**–::आदेश::–**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 37 बीघा 08 बिस्वा ग्राम हाणियां, तथा खसरा नम्बर 33 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 34 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खिन्दाकोर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जबरू व जबरूराम के स्थान पर सही नाम गोपाल सैन पुत्र शिवलाल सैन दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:54 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 31.3.[illegible] को खुले न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner